



2026:AHC-LKO:20898

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 3001 वर्ष 2026

प्रदीप कुमार वाल्मीकि

....

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास

लखनऊ एवं 2 अन्य

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: कृष्ण माधव शुक्ल, सत्यम पांडे

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्रीनिवास

बाजपेयी

न्यायालय संख्या-17

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री श्रीनिवास बाजपेयी, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय कुमार को सुना ।

2. यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 द्वारा संयुक्त रूप से पारित दिनांक 21.02.2026 के आदेश को निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण रिट जारी किए जाने की मांग करते हुए दाखिल की गई है। परमादेश की एक और रिट प्रतिवादियों को आदेशित करते हुये कि वे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 21.07.2025 के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता को संविदा आधार पर सफाईकर्मों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति प्रदान करें, समस्त परिणामी लाभों सहित, साथ ही प्रतिवादी को आगे यह निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को प्रति माह वेतन का भुगतान करें, बकाया सहित।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान ने अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि नगर पंचायत, तंबौर, जिला सीतापुर में सफाईकर्मों के पद हेतु रिक्ति दिनांक 16.05.2006 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और अन्य अभ्यर्थियों के साथ साक्षात्कार दिया। तथापि, उसे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसके चयन के संबंध में सूचित नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुत किया कि वर्ष 2016 में, उसे नगर पंचायत, तंबौर, सीतापुर के अधिकारियों द्वारा बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मचारी के रूप में सफाईकर्मों के पद पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात्, वर्ष 2025 में, यह तथ्य कि वह वर्ष 2006 में ही चयनित हो चुका था याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया, जिस पर उसने इस संबंध में कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया, जिस पर जांच की गई और तत्पश्चात् तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी, नगर पंचायत, तंबौर, सीतापुर द्वारा दिनांक 21.07.2025 को शासनादेश संख्या 1033(1)/9-1-2006 66Sए/2001 दिनांक 23.08.2005 के अनुपालन में याचिकाकर्ता को सफाईकर्मों के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश पारित किया गया तथा उसे एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु निर्देशित किया गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने उसी दिन अर्थात् 21.07.2025 को अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रारम्भ कर दिया। तथापि, चूंकि उसकी सेवाओं की गणना वर्ष 2006 से नहीं की जा रही थी, याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 9494 वर्ष 2025 को दाखिल किया, जिसे दिनांक 25.08.2025 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया कि प्राधिकारी याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का निर्णय ऐसे प्रत्यावेदन के प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर करें। यह अत्यंत जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के बावजूद, नगर पंचायत, तंबौर, सीतापुर के अध्यक्ष तथा कार्यपालक अधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे को मनमाने ढंग से दिनांक 21.02.2026 के प्रश्नगत आदेश द्वारा निरस्त कर दिया। अतः प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

4. श्री श्रीनिवास बाजपेयी, प्रतिवादी संख्या: 2 एवं 3 के उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि चयन समिति, जो दिनांक 23.08.2005 को आयोजित हुई थी, के आधार पर तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 21.07.2025 का आदेश विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जांच किए जाने पर यह तथ्य प्राधिकारियों के संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2012 से बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 21.07.2025 के आदेश को वापस लेने की प्रक्रिया प्रचलित है। अतः प्रस्तुत किया कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या: 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि वर्ष 2005 में किए गए चयन के आधार पर वर्ष 2025 में नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकारों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा याचिका की विषयवस्तु, प्रश्नगत आदेश एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2012 से बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है। एतदपश्चात्, याचिकाकर्ता को दिनांक 21.07.2025 को नियुक्ति की पेशकश की गई दिनांक 23.08.2005 को आयोजित चयन समिति के अनुपालन में किए गए चयन के आधार पर। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि चयन समिति के निर्णय का क्रियान्वयन एक निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए न कि लगभग 20 वर्ष के पश्चात्।

7. उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं के आलोक में, यह याचिका भ्रामक है और इसे खारिज किया जाता है।

8. निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि वह उस अधिकारी के विरुद्ध जांच संचालित करें, जिसने दिनांक 21.07.2025 का आदेश दिनांक 23.08.2005 को आयोजित चयन समिति के आधार पर पारित किया तथा यदि कोई प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है तो आवश्यक कार्यवाही करें।

9. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश को आवश्यक अनुपालन हेतु तत्काल निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ को संप्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23 मार्च, 2026

वीकेएस

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।